

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जून 2010—आषाढ़ 7, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

क्र. (9) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 3 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विदेशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोटल भराई की विनिर्माणी के निर्माण तथा संचालन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु फीस रुपये 10,000/- विहित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

क्र. (9) बी-1-36-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (9) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 28 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th June 2010

No. (9) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and sub-rule (2) of Rule 3 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government, hereby, prescribes the fee off Rs. 10,000 for the application for licence to construct and run a manufactory for manufacture and bottling of foreign Liquor.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

क्र. (10) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा मध्यप्रदेश बियर तथा मद्य नियम, के नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ब्रुवरी विनिर्माणी अनुज्ञप्ति के लिए फीस रुपये 10,000 तथा वाईनरी अनुज्ञप्ति हेतु रुपये 1,000 विहित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

क्र. (10) बी-1-36-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (10) बी-1-36-2009-2-पांच., दिनांक 28 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th June 2010

No. (10) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and clause (b) of sub-rule (3) of Rule 3 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, the State Government, hereby, prescribes the fee of Rs. 10,000 for Brewery manufactory licence and Rs. 1,000 for Winery licence.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.